संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-04-2021**

आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 28/21 धारा 363 / 366 / 376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता सिराजुद्दीन पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी झीनखाल बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.03.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादिनी द्वारा दिनांक थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 05.04.2021 को थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संतोष कुमार यादव, हे0का0 अर्जुन प्रसाद, कां0 कृष्ण कुमार मौर्य।

संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-04-2021**

01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र मेवालाल वर्मा निवासी उत्तर पट्टी मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 95 / 2021 धारा 4/ 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 प्रवीण कुमार, कां0 अखिलेश पाण्डेय, कां0पवन मद्धेशिया।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त नाम पता पिन्टू पुत्र रामधनी निवासी साड़ेकला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 96 /2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 अमरनाथ यादव प्रभारी चौकी बनकरिया, हे0कां0 सतीश मिश्रा

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत निखारपार से इवेन्ट संख्या 01384 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 03 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पातल पहुंचाकर उनकी जान बची गयी । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 हरिद्रार सिंह, मु0आ0 माधुरी मिश्रा, म0आ0 प्रेमा विंद, हो0चा0 रविन्द्र याद

संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-04-2021**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दविश के दौरान 03 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दविश के दौरान 03 वारण्टी नाम पता 1- सोनू पुत्र अब्दुल कलाम 2- अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल कलाम निवासीगण कोड़री थाना कोतवाली खलीलाबाद 3- इन्द्रेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी थवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 अनिरुद्ध सिंह, उ0नि0 आनन्द कुमार सिंह, हे0कां0 विजय सिंह, हे0कां0 अरविन्द तिवारी, कां0 पवन सरोज, कां0 बबलू प्रसाद।

संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 05-04-2021**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 66 वाहनो से 38500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 66 वाहनो से 38500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।